

क्रमांक 2462/वि.प्र./छ.ग./2018/
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /01/2018

प्रति,

मुख्य अभियंता,

1. महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर
2. महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर
3. हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
4. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
5. हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर

विषय :- दूरस्थ शिक्षा माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा के संबंध में।

संदर्भ :- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की सार्वजनिक सूचना दि. 12.01.2018

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2017 के अनुपालन में शैक्षणिक सत्रों 2001-2005 तक डीम्ड विद्यालयों से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा बी. टेक एवं एम.टेक की डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा परीक्षा संचालित की जा रही है। इस संबंध में पूर्व सार्वजनिक सूचना के क्रम में ऑनलाईन पंजीकरण की अंतिम तिथि को दिनांक 22.01.2018 से 05.02.2018 तक बढ़ा दिया गया है।

अतः संदर्भित सार्वजनिक सूचना की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि आपकी संरचना में दूरस्थ शिक्षा माध्यम से बी.टेक एवं एम.टेक की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में विवाद की कोई स्थिति न रहे।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

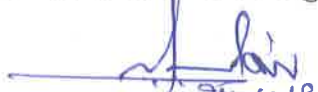

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र. 2462/वि.प्र./छ.ग./2018/ 1467
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 24/01/2018

1. सचिव, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, (एम.आई.एस.) की ओर विभाग की वेबसाईड पर प्रदर्शित करने हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर



अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070
फोन : 011-29581000, वेबसाइट : www.aicte-india.org

सार्वजनिक सूचना

पंजीकरण की तिथि को बढ़ाया गया (दूरस्थ शिक्षा माध्यम से इंजीनियरिंग शिक्षा के सम्बन्ध में)

यह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.01.2018 (2017 की सिविल अपील संख्या 17869-17870) के अनुपालन में तथा शैक्षणिक सत्रों 2001-2005 तक चार मानित विश्वविद्यालयों [डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटीज] (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 03.11.2017 में सूचीबद्ध किए गए अनुसार) में नामांकित विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों के लिए अभातशिप द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षा में भाग लेने हेतु ऑनलाईन पंजीकरण के लिए जारी की गई सार्वजनिक सूचना दिनांक 12.01.2018 के क्रम में है।

ऐसे सभी विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों जिन्होंने नामांकन किया था और बी.टैक. एवं एम.टेक की डिग्री प्राप्त की थी और परीक्षा (ओं) में भाग लेने के इच्छुक हैं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अभातशिप के वेबपोर्टल (www.aicte-india.org) पर ऑनलाईन पंजीकरण की अंतिम तिथि को दिनांक 22.01.2018 से दिनांक 05.02.2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.01.2018 के आलोक में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नामांकन किया था तथा 2001-2005 तक की अवधि में इन मानित विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा प्राप्त किया है उन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
विज्ञापन संख्या : पी एंड एपी/01(05)/2018

सदस्य सचिव